लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल
ई मेल– dpividhya@gmail.com

क्रमांक / अकादमिक / शि.प्रशि. / 1687 भोपाल, दिनांक 01.9.2022

प्रति,

1– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्य प्रदेश।
2– समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश।
3– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश।
4– समस्त सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश।

विषयः– दिनांक 04.09.2022 को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, भोपाल के प्रतिभागी शिक्षकों हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भः– शासन स्तर से जारी आदेश क्रमांक 1315 / 2022 / 20–2 भोपाल, दिनांक 25.08.2022।

दिनांक 04.09.2022 को भोपाल में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में दिए गए हैं। चूंकि यह राज्य स्तरीय एक बड़ा आयोजन है, अतः सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों हेतु निम्नानुसार निर्देश जाते हैं जिन्हें उनके मध्य भली–भाँति प्रसारित कर दिया जाए।

1- सभी प्रतिभागी (प्रशिक्षणार्थी) अपना फोटोयुक्त आईडी कार्ड सम्पूर्ण यात्रा एवं मुख्य कार्यक्रम के दौरान गले में अनिवार्यत धारण रखेंगे।
2- आईडी कार्ड में नाम, पदनाम, संस्था, शहर, जिला तथा पासपोर्ट साईज फोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि स्पष्ट रूप से अंकित हो।
3- यात्रा प्रारंभ होने से लेकर बस या ट्रेन द्वारा भोपाल आने एवं वापस जाने के दौरान कार्यक्रम संबंधी Minute to Minute Schedule का अवश्य पालन करे।
4- जिस बस अथवा रेल से यात्रा हेतु शिक्षकों को अधिकृत किया गया है उसका क्रमांक, विवरण ध्यान से पढ़कर नोट कर लें तथा सम्पूर्ण यात्रा के दौरान उनके लिए नियत अधिकृत बस अथवा ट्रेन यात्रा की जाना सुनिश्चित करे।
5- स्वयं के वाहन अथवा अन्य बस / वाहन का उपयोग करते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित होना पूर्णतः वर्जित है। जिले द्वारा अधिकृत की गई बस / ट्रेन व्यवस्था का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।
6- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी यात्रा के दौरान उपस्थिति लिए जाने हेतु तत्पर एवं उपस्थित रहेगें एवं तय किए गए समय पर अपनी उपस्थिति अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे।
7- प्रशिक्षणार्थी शिक्षक उनके दल हेतु निर्धारित किये गये Team Leader/Instructor के निर्देशों का अवश्यमेव पालन करेंगे। Team Leader का मोबाईल नम्बर दल के सभी सदस्य साथ में रखेंगे। इसी प्रकार Team Leader भी सभी सदस्यों का नाम, पता, मोबाइल नंबर अवश्य रखे।
8- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी यदि किसी बीमारी / एलर्जी आदि से ग्रसित हो तो एहतियात के तौर पर पर्याप्त दवाएँ एवं डॉक्टर की Prescription साथ में रखे।
9- Team Leader/Instructor द्वारा प्राथमिक उपचार किट तथा सिरदर्द, माइल्ड फीवर, पेट खराब जैसी आकस्मिकताओं हेतु सामान्य दवाएँ साथ में रखें। डायबिटिक होने की स्थिति में आवश्यक दवाईयां व समुचित स्ल्वपाहार साथ में रखे।
10- यात्रा के दौरान बिना कारण ट्रेन / बस से न उतरे। यदि आवश्यक हो तो Team leader को बताकर ही उतरे। ट्रेन / बस के स्टॉपेज समय का ध्यान रखे।

11- भोपाल में ट्रेन/बस से उतरकर निर्धारित किए गए विश्राम स्थल तथा कार्यक्रम स्थल पर जाने और आने में आवश्यक शालीनता, नियमबद्धता, धैर्य व अनुशान अपेक्षित है। नियत किये गये ठहरने के स्थल एवं कार्यक्रम स्थल को छोडना पूर्णतः वर्जित है।

12- किसी भी परिस्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को अपने साथ परिवार के किन्ही सदस्य अथवा बच्चों का लाना वर्जित है।

13- सभी प्रशिक्षणार्थी कार्यकम स्थल पर निर्धारित जोन/एरिया में ही शांत होकर बैठे व सभी निर्देशों का पालन करें तथा कार्यक्रम के दौरान दिखाई जाने वाली फिल्मों तथा उद्‌बोधनों को ध्यान से सुने व आत्मसात करे।

14- कार्यक्रम में प्रदाय की गई प्रशिक्षण सामग्री को ध्यान से रखे, पढ़े व उसका अनुसरण करें।

15- मंच से कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होने के उपरान्त ही जैसा मंच से निर्देशित किया जाए उसी अनुरूप सेक्टरवार प्रशिक्षण स्थल से प्रस्थान करेंगे।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

पृष्ठां- कमांक/अकादमिक/शि.प्रशि./1688 भोपाल, दिनांक 01.09.2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश